

24.5.18

पञ्जावली कोर्ट न्युम्पु आमलीगढ पर  
पेशा / पेशाला अलागा से लिखवा जा करि  
शामिल पञ्जावली विपा रापा /  
पञ्जावली पेशाला शुमार होकरा नम्बर

अकाम हो

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर

हमीरगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला-भीलवाडा

पीठसीन अधिकारी:-रामावतार (आर0ए0एस0)

वेम्यंकोट आमलीगढ

मुकदमा संख्या:- 13/18

- 1- श्री अशु पिता उदा जाट सिवासी सिधार
- 2- " नारायण पिता उदा जाट " "
- 3 " बलार " " " "
- 4 " भैवर " " " "
- 5 " फूलचंद " " " "
- 6 " अमर " " " बनाम " " "
- 7- " रूखा " " " "
- 8- " रुवामा " " " बनाम " " "

---प्रार्थीगण

① श्री अम्बालाल पिता जुवाना जाट सिवासी सिधार

प्रार्थीगण

---विपक्षीगण

P.T.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:- 24.5.18


प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सिधार पटवार हल्का आमली तहसील हमीरगढ व जिला भीलवाडा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 125/2, 135/2, 144, 199, 202, 203/1, 203/2, 203/3, 486/1, 487/2 कुल किता 11 रकबा 30 बीघा 4 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 31.1.18 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिंध्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम सिधार पटवार ह0 आमली तहसील हमीरगढ व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 125/2, 135/2, 144, 199, 202, 203/1, 203/2, 203/3, 486/1, 487/2 कुल किता 11 रकबा 30 बीघा 04 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक मंगरीय को 3000/-रु0 (अक्षरे- तीन हजार एक सौ रुपया) मात्र

कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्राथमिक पर जमा कराये। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

  
पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं


पदेन सहायक कलक्टर

हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी

हमीरगढ़

प्रतिलिपि:— तहसीलदार, हमीरगढ़ को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

  
पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी

हमीरगढ़

- 2 श्रीनन्ददेवा जवाना जाट निवासी सिधार
- 3 " हीरा पिता व्याणु " "
- 4 " गधेश " "
- 5 " जन्दा पिता कजोड " "
- 6 " बदा " "
- 7 " गोवल " "
- 8 " जानु " "
- 9 " मुलचन्द " "
- 10 श्री चारुमुजाजाय जी स्थान देहू
- 11 " बाल, पिता मुरा जाट निवासी सिधार
- 12 " माधु पिता " "
- 13 " जमना " "
- 14 " लाड " "
- 15 " देवीलाल पिता चतरा जाट नि <sup>भारा का खेडा</sup> सिधार
- 16 " गोपाल पिता जाट जाट नि सिधार
- 17 " भारमल पिता रामलाल जाट " "
- 18 " जमना पिता " "
- 19 " वैजारा पिता जगदीश जाट " "
- 20 " वाचा पिता " "
- 21 " सावर पिता " "
- 22 " श्याम पिता " "
- 23 " जन्दा पिता मांगु जाट " "
- 24 " देव " "
- 25 " रामचन्द पिता हीतर जाट " "
- 26 " रामसुख पिता मेधा " "
- 27 " पुरुजामल " "
- 28 " वैजारा पिता वैशी दाम वैचवल सिधार
- 29 " शोमिलाल " "
- 30 " मदन पिता " "
- 31 " माधु पिता हीसा जाट " "
- 32 " देवबंस पिता लस्मरा जाट " "
- 33 " रतन पिता धन्ना जाट " "
- 34 लहसीलदार साहब हमीरगढ

विपरीत